

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

रिट - ए संख्या - 2639 वर्ष 2026

हरिश्चंद्र श्रीवास्तव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, वन विभाग, लखनऊ और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शैलेंद्र सिंह चौहान, मनीष सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 18

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान का भुगतान करें, जैसा कि उसी के समान स्थिति वाले व्यक्ति पवन कुमार सिंह को 16.01.2023 से दिया जा रहा है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय पर भी विश्वास व्यक्त किया है, जो सभा शंकर दुबे बनाम मंडल वन अधिकारी 2019 (37) एलडीसी 319 के प्रकरण में दिया गया था इसके प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 9, 10, 11 और 13 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"समान कार्य हेतु समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमानों की समानता के विषय से संबंधित संपूर्ण विधि पर व्यापक विचार करने के पश्चात्, इस न्यायालय ने जगजीत सिंह (उपर्युक्त) प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

58. हमारी सुविचारित राय में किसी के श्रम के फल से उसे वंचित करने के लिए मनगढ़ंत मापदंड तय करना एक भ्रामक कदम है। एक ही कार्य के लिए नियुक्त किसी कर्मचारी को उसी प्रकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले किसी अन्य कर्मचारी की तुलना में कम वेतन नहीं दिया जा सकता। निश्चित रूप से एक कल्याणकारी राज्य में तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भी कृत्य अपमानजनक होने के साथ-साथ, मानवीय गरिमा की मूल नींव पर ही प्रहार करता है। कोई भी व्यक्ति जिसे कम वेतन पर कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, वह ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करता। वह ऐसा अपने परिवार को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए करता है अपनी आत्म-सम्मान और गरिमा की कीमत पर अपने आत्म-मूल्य की कीमत पर, और अपनी सत्यनिष्ठा की कीमत पर। क्योंकि वह भली-भांति जानता है कि यदि वह कम वेतन स्वीकार नहीं करेगा, तो उस पर आश्रित लोगों को भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। समान परिस्थितियों में कार्यरत अन्य लोगों की तुलना में कम वेतन देने का कोई भी कृत्य, एक प्रभुत्वशाली स्थिति से उत्पन्न होने वाला शोषणकारी दासता का ही एक रूप माना जाएगा। निस्संदेह यह कृत्य दमनकारी, उत्पीड़क और

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

बलपूर्वक थोपा गया है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करता है।

10. जगजीत सिंह (उपर्युक्त) प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा जिस मुद्दे पर विचार किया गया था, वह यह था कि क्या अस्थायी कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ नियुक्त कर्मचारी, आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और इसी प्रकार के अन्य कर्मचारी) नियमित वेतनमानों के न्यूनतम स्तर के अधिकारी हैं, इस आधार पर कि वे वही कर्तव्य निभाते हैं जो स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी निभाते हैं। तिलक राज (उपर्युक्त) और सुरजीत सिंह (उपर्युक्त) प्रकरणों में इस न्यायालय के निर्णयों सहित कई निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अस्थायी कर्मचारी उन वेतनमानों के न्यूनतम स्तर पर वेतन पाने के अधिकारी हैं, जो समान पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

11. जगजीत सिंह (उपर्युक्त) प्रकरण में दिए गए निर्णय को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय के इस मत को सही नहीं ठहरा सकते कि वर्तमान अपीलकर्ता वेतनमान के न्यूनतम वेतन के अधिकारी नहीं हैं। हमें अपीलकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण से संबंधित उनके अधिकारों पर निर्णय देने के लिए नहीं कहा गया है। हमारा सरोकार केवल उस सिद्धांत से है, जिसे इस न्यायालय ने प्रारम्भ में पुत्ती लाल (उपर्युक्त) के मामले में समान स्थिति वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रतिपादित किया था।

13. उपरोक्त कारणों से हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के उन निर्णयों को रद्द करते हैं, जिनमें यह माना गया था कि अपीलकर्ता उन नियमित कर्मचारियों पर लागू होने वाले वेतनमानों का न्यूनतम वेतन पाने के अधिकारी हैं, जो उन्हीं पदों पर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह 1 दिसंबर, 2018 से अपीलकर्ताओं को वेतनमानों का न्यूनतम वेतन अदा करे।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता अभी भी कार्यरत है। अतः, याचिकाकर्ता न्यूनतम मूल वेतनमान का अधिकारी है, और याचिकाकर्ता का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के अंतर्गत पूर्णतः आता है।

विद्वान् स्थायी अधिवक्ता उन तथ्यों का खंडन करने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ता अभी भी उस पद पर कार्यरत है, और प्राप्त निर्देशों के अनुसार वे सभा शंकर दुब (उपर्युक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को पृथक करके दिखाने में भी असमर्थ हैं।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है। याचिकाकर्ता उस वेतनमान का न्यूनतम वेतन नियमित रूप से पाने का अधिकारी है, जैसा कि 16.01.2023 के आदेश द्वारा लाभ प्राप्त करने वाले समान स्थिति वाले व्यक्ति को दिया गया है। यह कार्यवाही इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाए।

30 मार्च 2026

मधु जे आर/पी.एस

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”